न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –03/2016
GCMS No.–2016/00069

1. रामसिंह पिता हीरा जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।

... वादी

बनाम

2. श्री मदनलाल पिता हीरा जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भैरू पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. ओमप्रकाश पिता प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. रामकंवरी पुत्री हीरा जाति मीणा पतनी बंशीलाल निवासी बड़की की ढ़ाणी तहसील भदेसर।

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1– शहादत अली – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय :: दिनांक :–06.05.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि गांव सेगवा पटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेड़ा में वादी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 58 की आराजी नंबर 129 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 136 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 182 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 184 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबवेल, आराजी नंबर 185 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 186 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 304 रकबा 1.6300 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.5200 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात पूर्व मे चम्पा मीणा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी । जिसका देहान्त हो चुका है। चम्पा के दो पुत्र हीरा एवं बच्चा हुए। और चम्पा के देहान्त के बाद इन दोनों का वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2–1/2 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड मे इसी अनुसार हिस्सा दर्ज हुआ ।

3. वादग्रस्त आराजीयात में बच्चा पिता चम्पामीणा का 1/2 हिस्सा था किन्तु बच्चा करीब 35–36 वर्ष पूर्व जबकि बच्चा की आयु 16–17 वर्ष की थी तब कही लापता चला गया उसकी काफी तलाश की लेकिन वह कही नही मिला और कोई पता नही लगा ना जाने जीवित है या मर चुका है। बच्चा के 35–36 वर्ष पूर्व नाबालिगी में कहीं चले जाने व गुम हो जाने के बाद से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात पर हीरा चम्पा का ही कब्जा चला आ रहा है। और हीरा ही उस पर काश्त करता कराता चला आ रहा है। बचा के 35–36 वर्ष पूर्व लापता हो जाने गुम हो जाने और सात वर्षों से अधिक समय से बच्चा जीवित होने का सबुत या समाचार नहीं मिलने के कारण कानूनन बच्चा की सिविल डेथ बच्चा के गूम होने के सात साल बाद ही हो गयी थी। और बच्चा की बादग्रसत आराजियात का भीमालिक खातेदार बच्चा का भाई हिरा ही हो गया था तथा कानूनन समस्त वादग्रसत आराजियात का तन्हा मालिक खातेदार हीरा हुआ। हीरा का भी करीब 15 वर्ष पूर्वी देहांत हो युका है। हीरा के तीन पुत्र प्रभुलाल, रामसिंह एवं मदनलाल हुए तथा एक पुत्री रामकंवरी

'सहायक कलक्टर'
निम्बाहेड़ा

हुई। जिनमे से भी प्रभूलाल का देहांत हो चुका है। जिसके दो पुत्र भैरू एवं ओमप्रकाश हुए।

4. इस प्रकार हीरा के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण के मालिक हीरा के पुत्र राम सिह, मदन लाल और प्रभू लाल हुए और इन तीनो क ावादग्रस्त आराजीयात मे बराबर का 1/3–1/3 हिस्सा हुआ है। प्रभू लाल के 1/3 हिस्से के मालिक खातेदार उसके दोनो पुत्र भैरु, ओमप्रकाश है। वादी व प्रतिवादीगण मीणा जाति के होकर इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता है और केवल पूरुष वारीसान ही मालिक खातेदार होते है। स्त्रीयो के नाम आराजीयात दर्ज नहीं होती है। किन्तु जब हीरा पिता चम का देहान्त हुआ तब राजस्व अधिकारियो की कानूनी अनभिज्ञता के कारण हीरा के विरासत में हीरा की पुत्री रामतकंवरी का नाम भी दर्ज कर दिया गया । जबकि नियमानुसार रामकंवरी नाम दर्ज नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार से बच्चा पुत्र चम्पा के लापता हो जाने से और कानूनन उसकी सिविल डेथ हो जाने से उसका वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सा भी उसके भाई हीरा के नाम दर्ज हो जाना चाहिए था । चूंकि अब हीरा का भी देहान्त हो चुका है इस कारण से बच्चा के वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से के मालिक खातेदार भी वादी व प्रतिवादीगण सं। से 3 है। जो कि हीरा के पुत्र व पूत्र के पुत्र है। और हीशा सच्चा का वादग्रस्त आराजीयात का दर्ज हिस्साभी इन्ही वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम दर्ज होना चाहिए। यह दावा बच्चा के हिस्से की आराजीयात की घोषणा हेतु भी प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यो कि खातेदारी में अभी तक बच्चा का नाम 1/2 हिस्से से दर्ज चला आ रहा है। इस कारण से यह घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. वादी एवं प्रतिवादीगण सं से 3 ने कई वर्षो पूर्व आपसी सहमति से मौके पर मौखिक बंटवाड़ा कर रखा है। जिसमे 1/3 हिस्सा वादी राम सिंह का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं। मदन लाल का और 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं–2 प 3 भैरु एवं ओमप्रकाश का है। और इसी अनुसार मोके पर काबिज होकर काश्त करते कराते चले आ रहे है। किन्तु खाते में नियम विरूद्ध तरीके से रामकंवरी का नाम दर्ज हो जाने से एवं बच्चा का नाम दर्ज चले आने से आपस में विवाद रहता है। इस कारण से दावा पेश करने की नोबत आई ।

6. वादी ने प्रतिवादीगण को दि० 11–12–2015 को कार्यवाही करा खातेदारी से रामकंवरी का नाम हटाने एवं बच्चा का नाम हटाने हेतु कहा । किन्तु वे नहीं माने। इस कारण से दावा पेश करने की नौचत आई ।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सेगवा के नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रदर्श –1, नकल जमाबंदी संवत 2017–2020 प्रदर्श –2, नकल जमाबंदी संवत् 2077–2080 प्रदर्श–3 पेश की है व मौखिक साक्ष्य में वादी का शपथ पत्र पीडब्लू–1 गवाह काशी पिता भाना जी मीणा पीडब्लू–2 मोतीलाल पिता मोड़ा जी मीणा पीडब्लू–3 व रामसुख पिता नाना जी मीणा पीडब्लू–4 का शपथ पत्र पेश किया तथा बयान लिये गये। वकील वादी द्वारा और गवाह पेश नहीं करने से साक्ष्य बन्द की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वादी ने पैतृक आराजियात में मात्र कथनानुसार घोषणा का हवाला दिया गया है जो वाद के तथ्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं तथा बच्चा पिता चम्पा मीणा के लापता होने या मृत्यु होने के संबंध में सिविल डेथ की घोषणा का प्रमाण पत्र या अन्य कोई भी दस्तावेज इस न्यायालय में पेश नहीं किया है। वादी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

–:आदेश –

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –03/2016
GCMS No.–2016/00069

1. रामसिंह पिता हीरा जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।

... वादी

बनाम

2. श्री मदनलाल पिता हीरा जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भैरू पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. ओमप्रकाश पिता प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. रामकंवरी पुत्री हीरा जाति मीणा पतनी बंशीलाल निवासी बड़की की ढ़ाणी तहसील भदेसर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1–श्री शहादत अली – अधिवक्ता वादी

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु विकास पंचौली R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.05.2025 को जारी की गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा